<u>न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एम0 के0 अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2017/3530 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2017 पारित द्वारा तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 04/2016-17/अ-70 एवं निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2018/1458/ आदेश दिनांक 19.06.17 पारित द्वारा तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2016-17

1- जिन्दरसिंह पुत्र संतोषसिंह जाति सिक्ख।
2- हरदीपसिंह पुत्र संतोषसिंह जाति सिक्ख।
निवासीगण ग्राम गरेंठी कृषक ग्राम मोहरी,
परगना पिपरई, जिला अशोकनगर म.प्र.

---निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1- राजपालसिंह पुत्र इमरत जाति लोधी।
2- इमरतलाल पुत्र रामलाल जाति लोधी।
निवासीगण ग्राम मोहरी, परगना पिपरई, जिला गुना, म.प्र.।

---गैरनिगरानीकर्तागण

1- श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक ----------- निगरानीकर्तागण के लिये।
2- श्री सुनील जादौन, अभिभाषक ---------------गैरनिगरानीकर्तागण के लिये।

//आदेश //

(पारित दिनांक 1-5-2018)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार पिपरई, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 04/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगर के न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस

आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि ग्राम मोहरी परगना पिपरई में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 418/1 रकबा 0.297 हे0 एवं सर्वे क्रमांक 367/2 रकबा 1.317 हे0 गैरनिगरानीकर्तागण के भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमियां गैरनिगरानीकर्तागण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही हैं। प्रश्नाधीन भूमियों पर निगरानीकर्तागण के द्वारा अपने गुट के लोगों की सहायता लेकर जबरन ताकत के बल पर सोयाबीन व उडद की फसल बोकर अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा गैरनिगरानीकर्तागण को प्रश्नाधीन भूमियों से बेदखल कर दिया गया। अत: गैरनिगरानीकर्तागण की प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जावे तथा निगरानीकर्तागण की भूमि से बेदखल किया जावे। तहसीलदार पिपरई द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2016-17/अ-70 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 31-08-2017 से राजस्व निरीक्षक/पटवारी एवं पुलिस बल थाना पिपरई को आदेश दिये गये कि गैरनिगरानीकर्तागण को मौके पर कब्जा देकर रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार पिपरई द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी, निगरानीकर्तागण के द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4- निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क प्राय: उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर पेश किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क पेश किये गये कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा एकपक्षीय रूप से बंटवारा कराकर तहसील न्यायालय में निगरानीकर्तागण के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया। तहसीलदार द्वारा निगरानीकर्तागण को सुने बिना ही प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा गैरनिगरानीकर्तागण को सौंपे जाने का आदेश कर दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार द्वार पारित आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक ने यह भी बताया है कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में अप्राधिकृत रूप से कब्जा होने का उल्लेख किया गया है, जो कि बिना किसी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं है। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी व विधिवत कब्जा प्राप्त किया गया था। निगरानीकर्तागण का

विधिवत नामान्तरण स्वीकार हुआ। इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्तागण के नाम पर ही दर्ज है। इस प्रकार संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है।

निगरानीकर्तागण के अभिभाषक ने यह भी तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में आदेश 06 नियत 17 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया गया है जिसमें पूर्व में हुये बंटवारा आदेश दिनांक 30-09-2016 निरस्त किया जावे। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि इन्हीं पक्षकारों एवं यही प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन कराये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया था, उक्त प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा निगरानीकर्तागण को बिना सूचना दिये तथा सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन एवं पंचनामा दिनांक 19-06-2017 को किया गया है अत: उक्त सीमांकन आदेश को भी निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5- गैरनिगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 एवं सीमांकन की कार्यवाही विधिवत सम्पन्न की गई है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अत: तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6- मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुंगावली के न्यायालय में प्रतिनिगरानीकर्तागण ने ग्राम मोहरी के सर्वे क्रमांक 44,50,77/1, 179,237, 279, 367, 176, 418 कुल रकबा 8.789 हे0 के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था। गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा निगरानीकर्तागण के हक में व्यवहार वाद के प्रतिनिगरानीकर्तागण क्रमांक -1 रघुवीर द्वारा निगरानीकर्तागण के हक में ग्राम मोहरी के सर्वे क्रमांक 367 के संबंध में हुये विक्रय पत्र दिनांक 10-08-2001 को शून्य घोषित कराने तथा सर्वे क्रमांक 44, 77/1, 179, 237, 279, 367, 178 कुल रकबा 6.918 हे0 में से रकबा 1.609 हे0 पर व्यवहार वाद दायर किया गया था। गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा वाद पत्र में दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि

सर्वे क्रमांक 418 व्यवहार वाद के प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक -1 रघुवीर ने निगरानीकर्तागण को विक्रय कर दिया है, इसलिये इस भूमि पर कोई विवाद नहीं है।

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के वाद क्रमांक 09ए/2001 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 367 का रघुवीर द्वारा निगरानीकर्तागण के हक में किया गया विक्रय वैध है। गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा सर्वे क्रमांक 418 के संबंध में रघुवीर द्वारा निगरानीकर्तागण के हक में किये गये विक्रय हो अपने दावे में भी वैध माना है। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 30-01-2006 में वादग्रस्त भूमियों में गैरनिगरानीकर्तागण को 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी पाया। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने अपने निर्णय में निगरानीकर्तागण के हक में भूमि सर्वे क्रमांक 367 के विक्रय पत्र दिनांक 10-08-2001 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 418 के विक्रय पत्र दिनांक 15-07-94 एवं 22-05-95 को वैध पाया तथा भूमि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 पर निगरानीकर्तागण का कब्जा विक्रय दिनांक से वैध पाया। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 44, 77/1, 179, 237, 279, 367, 178 एवं 418 कुल रकबा 08.789 हे0 में गैरनिगरानीकर्ता का हिस्सा 1/5 निर्णय दिनांक 30-01-2006 के अनुसार 1.766 हे0 होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 02/अ-27/2014-15 में बंटवारे की कार्यवाही विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 को छोडकर शेषा विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 44, 77/1, 179, 237, 279 एवं 178 में से रकबा 1.756 हे0 गैरनिगरानीकर्तागण को देकर करनी चाहिये थी। तहसीलदार को बंटवारे की कार्यवाही करते समय यह भी देखना चाहिये था कि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 का जितना कुल रकबा होता है, उतना रकबा सर्वे क्रमांक 44, 50, 77/1, 179, 237, 279, 367, 178, एवं 418 में हिस्सा अनुसार विक्रेता रघुवीर का था या नहीं। यदि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 के रकबे के बराबर उपरोक्त सर्वे नम्बरान में रघुवीर का रकबा शेष था तो सर्वे क्रमांक 376 एवं 418 में से गैरनिगरानीकर्तागण को बंटवारे में कोई रकबा नहीं देना चाहिये था। यदि रकबा कम था तभी रघुवीर द्वारा विक्रय की गयी भूमि सर्वे क्रमांक 367, 418 से उस करबे की पूर्ति करना चाहिये थी। तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 21/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2016 से बंटवारे की कार्यवाही मनमाने ढंग से एवं अवैध रूप से की गयी है जो प्रभावहीन एवं शून्यवत है। इसी कारण तहसीलदार के बंटवारा आदेश के बाद तहसीलदार द्वारा

प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2016-17 से भूमि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 की सीमांकन की कार्यवाही भी दूषित एवं अवैध है।

माननीय अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 30-01-2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 पर वैध विक्रय पत्र के आधार पर वैध रूप से काबिज हैं। ऐसी स्थिति में भूमि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 के संबंध में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के तहत कोई कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नहीं की जा सकती। अतएव विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 367 एवं 418 के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2016 से बंटवारे की कार्यवाही, प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2016-17 से की गयी सीमांकन की कार्यवाही तथा प्रकण क्रमांक 04/अ-70/2016-17 आदेश दिनांक 31-08-2017 से म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 की कार्यवाही अवैध एवं दूषित होने के कारण समाप्त की जाती है। तहसीलदार प्रकरण क्रमांक 02/अ-27/2014-15 में इस निर्णय के अनुसार नये सिरे से बंटवारा कार्यवाही प्रारंभ करें।

इसी विवादित भूमि तथा इन्हीं पक्षकारों के मध्य इस न्यायालय में एक अन्य निगरानी प्रचलित है, जो प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2018/1458 तहसीलदार पिपरई द्वारा पारित सीमांकन एवं पंचनामा दिनांक 19-06-2017 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। चूंकि इस आदेश के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही को अवैध एवं दूषित मानकर समाप्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकार यह आदेश सीमांकन प्रकरण में भी लागू होगा। इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2018/1458 में संलग्न की जावे। प्रस्तुत दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
म0प्र0 राजस्व मण्डल
ग्वालियर